प्रस्तावना

मार्च 2015 को समाप्त हुये वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत् बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन राजस्व प्रक्षेत्र के अन्तर्गत बिहार सरकार के विभागों, जिसमें वाणिज्य–कर, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन, राजस्व एवं भू–सुधार तथा खान एवं भूतत्व विभाग शामिल है, की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा/अथवा अनुपालन लेखापरीक्षा समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही साथ वे मामले जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2014–15 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।